फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 159/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/162) **श्री मनोज कुमार व अन्य बनाम तहसीलदार गढ़बोर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.11.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री लोकेश मेनारिया - वकील अपीलार्थी 2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-1 व 4 **अनवान** 1. श्री मनोज कुमार पिता श्री नारायणलाल लोहार, निवासी सेवन्त्री, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमंद। 2. श्री सुभाषचन्द्र पिता श्री डालचन्द पण्ड्या सेवक, निवासी सेवन्त्री, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमंद। 3. श्री भवानीशंकर पिता श्री गौरीशंकर ब्राहम्ण, निवासी सेवन्त्री, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमंद। 4. श्री चन्द्रप्रकाश पिता श्री मोहनलाल माली, निवासी सेवन्त्री, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमंद। 5. श्री दिनेश पिता श्री रतनलाल सेन, निवासी सेवन्त्री, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमंद। **अपीलार्थी** 1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गढ़बोर जिला राजसमंद। 2. समस्त जनता सेवन्त्री जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सेवन्त्री, तहसील गढ़बोर। 3. उप सरपंच सेवन्त्री, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमंद। 4. पटवारी, पटवार हल्का सेवन्त्री, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमंद। **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़, बप्रकरण संख्या 09/2017 निर्णय दिनांक 02.05.2018 (अनवान तहसीलदार, गढ़बोर बनाम समस्त जनता सेवन्त्री जरिये सरपंच, ग्रा.प.गढ़बोर व अन्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 30.11.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़, बप्रकरण संख्या 09/2017 निर्णय दिनांक 02.05.2018 (अनवान तहसीलदार, गढ़बोर बनाम समस्त जनता सेवन्त्री जरिये सरपंच, ग्रा.प.गढ़बोर व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • तहसीलदार, गढ़बोर द्वारा ग्राम पंचायत सेवन्त्री द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 06.07.1958 के विरूद्ध एक अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ समक्ष प्रस्तुत की और निवेदन किया कि ग्राम सेवन्त्री में स्थित कुल किता 25 रकबा 800 बीघा भूमि बिलानाम सरकार दर्ज थी, जिस उप सरपंच द्वारा अपने अधिकारो से परे जाकर समस्त जनता सेवन्त्री के नाम दर्ज करने का नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जाकर उक्त भूमियां पुनः बिलानाम सरकार दर्ज की जावें। • अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ द्वारा उक्त अपील स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 02.05.2018 से नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 06. 07.1958 को अपास्त किया और राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवन्त्री का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 159/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/162) **श्री मनोज कुमार व अन्य बनाम तहसीलदार गढ़बोर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आवंटनशुदा भूमि के अलावा अन्य विवादित भूमियों की नामान्तरकरण से पूर्व की स्थिति बहाल रखे जाने के आदेश प्रसारित किये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ के उक्त आदेश दिनांक 02.05.2018 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं दफा 96 जा.दी. का प्रस्तुत किया जिस पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलार्थी एवं राजकीय पेरोकार उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 29.11.2023 को सुनी गई। प्रत्यर्थी-2 व 3 बावजुद सूचना अनुपस्थित।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रत्यर्थी-1 द्वारा 60 वर्षों के बाद अपील पेश की जो मयाद बाधित थी जो इसी बिन्दु पर खारिज योग्य थी। उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ द्वारा सिर्फ सरपंच एवं उप सरपंच के अनापत्ति पर अपील स्वीकार कर दी जबकि उक्त भूमि समस्त जनता के नाम दर्ज थी, जिसकी उजरदारी की जानी थी जो नहीं की गई। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार ही तहसीलदार द्वारा अपील की गई जिसके उसी अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए आलौच्य नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी के हित प्रभावित होने से ग्रामवासी के सहमति से उनके द्वारा यह अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी के पेश की गई। उक्त आदेश अपीलार्थीगण के परोक्ष पारित किये जाने से अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी ससमय नहीं हो सकी, जिसे मयाद उपशमित किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम अपील के साथ प्रस्तुत किया गया। अंत मे अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया।

प्रत्यर्थी तहसीलदार गढ़बोर एवं पटवारी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया। अविधिक एवं अवैधानिक आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है, इस पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है। आलौच्य नामान्तरकरण उप सरपंच द्वारा अपने अधिकारों से परे जाकर दिया गया, बिना किसी सक्षम आदेश के राजकीय बिलानाम भूमि समस्त जनता के नाम दर्ज कर दी गई। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी आलौच्य नामान्तरकरण से प्रभावित व्यक्ति नहीं है, इसलिए अपील इसी बिन्दु पर भी खारिज योग्य है।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 159/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/162) **श्री मनोज कुमार व अन्य बनाम तहसीलदार गढ़बोर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कुम्भलगढ़ के निर्णय दिनांक 02.05.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी पक्षकार नहीं थे। इस प्रकरण में हम सर्वप्रथम इस अपील के एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार किया जाना उचित समझते है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी चाहिये। विधि में जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए दफा 96 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 41 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपील की जा सकती है। अपील किये जाने के लिए सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकार द्वारा ही अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अन्य कोई व्यक्ति व्यथित पक्षकार है तो उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के आज्ञापक प्रावधानों व अनेकानेक न्यायिक दृष्टान्त उपलब्ध है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति जाहिर नहीं होता है क्योंकि विवादित आराजीयात कभी भी उनके व्यक्तिगत नाम से खातेदारी दर्ज नहीं थी और न ही वह इस भूमि पर मालिक होकर काबिज है। साथ ही उनके कोई वेधानिक अधिकार प्रकट नहीं होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार्य योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अपील मयाद बाधित भी है, जिस हेतु प्रस्तुत कारण संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं होने से इस बिन्दु पर भी अपील खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचन से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी व्यथित व्यक्ति नहीं है, जिसे यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है और प्रस्तुत अपील मयाद बाधित भी है। फिर भी यह न्यायालय नैसर्गिक न्यायालय के सिद्धान्त के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझता है, जिसका यह अर्थ नहीं है कि हस्तगत अपील में मयाद उपशमित की और अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दे दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। ग्राम सेवन्त्री में स्थित कुल किता 25 रकबा 800 बीघा भूमि बिलानाम सरकार दर्ज थी, जिस उप सरपंच द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण से समस्त जनता सेवन्त्री के नाम दर्ज करने का नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पक्षकार सरपंच एवं उपसरपंच द्वारा उक्त नामान्तरकरण को अपास्त करने पर अपनी अनापत्ति लिखित में प्रस्तुत की गई। दौराने बहस, अधिवक्ता अपीलार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि आलौच्य नामान्तरकरण किसी सक्षम आदेश की अनुपालना में स्वीकृत किया गया है। न ही अपीलार्थी ऐसा को आदेश इस न्यायालय समक्ष प्रस्तुत कर पाये है। न ही अधिवक्ता अपीलार्थी यह साबित कर पाया है कि आलौच्य नामान्तरकरण को पारित करने की शक्तियां एवं अधिकारी उप सरपंच को प्रदत्त थे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आलौच्य नामान्तरकरण के अवलोकन से यह कही भी प्रकट नहीं होता है कि उप सरंपच द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण किसी सक्षम आदेश की अनुपालना में स्वीकृत किया गया है अथवा राज्य सरकार व जिला कलक्टर द्वारा किसी पारित किसी आदेश की अनुपालना में स्वीकृत किया गया है न ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है, ऐसें में पारित नामान्तरकरण संख्या 76 दिनांक 06.07.1958 प्रथमदृष्टया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण प्रकट होता है और ऐसे त्रुटिपूर्ण एवं अविधिक नामान्तरकरण पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है। इस संबंध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपना मत व्यक्त किया है कि	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 159/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/162) **श्री मनोज कुमार व अन्य बनाम तहसीलदार गढ़बोर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण आदेश पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है। इन्ही सभी तथ्यों पर पूर्ण परिक्षण एवं विचार विश्लेषण उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.05.2018 पारित किया। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.05.2018 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (महावीर खराड़ी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	